

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015

टेलीफोन नं. 0141-2706830, 2706032 फेक्स नं. 0141-2707679 ई-मेल:-rajscoutguide@yahoo.com

दिनांक:- 16/04/2019

क्रमांक:- प- ()रा.मु/2019-20/ 521

महोदय/महोदया,

विषय :- राज्य स्तरीय राष्ट्रपति स्काउट अवार्ड प्रशिक्षण शिविर।

निर्धारित वार्षिक कार्यक्रमानुसार राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय, जयपुर के तत्वावधान में राष्ट्रपति स्काउट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन दिनांक 26 से 31 मई, 2019 तक स्काउट गाइड प्रशिक्षण केन्द्र नं. 1 आबूपर्वत पर किया जा रहा है। शिविर संबंधी आवश्यक सूचनाएं निम्न प्रकार है:-

1. शिविर का नाम :- राष्ट्रपति स्काउट अवार्ड प्रशिक्षण शिविर।
2. तिथियाँ :- 26 से 31 मई 2019 तक।
3. आंशिक कोटा :- अजमेर-21+2, भरतपुर-21+2, बीकानेर-25+3, जयपुर- 21+2, जोधपुर-36+4, कोटा-21+2, उदयपुर-36+4 कुल संख्या- 200 आंशिक कोटे से अधिक सम्भागियों को शिविर में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- शिविर में स्काउट्स के साथ आने वाले स्काउटर्स की योग्यता कम से कम हिमालय वुड बैज या एडवांस कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक है। इससे कम योग्यता या शिविर में सक्रियता पूर्वक कार्य नहीं करने वाले स्काउटर्स को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
3. पहुँच :- प्रथम दिवस प्रातः 10.00 बजे तक शिविर स्थल पर पहुँचना आवश्यक है। शिविरावधि में कोई अवकाश नहीं दिया जावेगा।
4. स्थान :- स्टेट एडवेंचर इन्स्टीट्यूट, राजस्थान राज्य भारत स्काउट/गाइड, प्रशिक्षण केन्द्र नं. 1, ओल्ड गोल्फ कोर्स, आबूपर्वत न: 01, सिरोही। सम्पर्क- श्री जितेन्द्र माटी सर्कल ओर्गेनाइजर(स्काउट) आबू पर्वत, सिरोही, मो.न.- 8003097176
5. योग्यता :-
 1. 13 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हों।
 2. जिन्होंने 31 मार्च, 2019 से पूर्व राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो। प्रमाण पत्र की फोटो प्रति साथ लाना आवश्यक है।
 3. जिनकी राज्य मुख्यालय द्वारा इस शिविर हेतु स्वीकृति जारी की गई हो।
 4. पूर्ण स्वस्थ हो तथा किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित न हो।
6. शुल्क :- इस शिविर में भाग लेने वाले सम्भागियों को निम्नानुसार शुल्क पंजीकरण के समय जमा कराना होगा:-


	स्काउट	स्काउटर	
पंजीकरण शुल्क	80	80	संबंधित संस्था द्वारा देय
विकास शुल्क	100	200	संबंधित संस्था द्वारा देय
योग	180	280	

7. पंजीकरण :- संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 01.05.2019 तक मण्डल मुख्यालय को भेजकर पंजीकरण करवाना होगा। मण्डल मुख्यालय पंजीकरण आवेदन पत्र राज्य मुख्यालय पर दिनांक 08.05.2019 तक अवश्य भिजवावे।
9. आवास व्यवस्था :- आवास व्यवस्था तम्बुओं में की जावेगी। स्काउटर भी अपनी टोलियों के साथ तम्बू में ही रहेंगे।

10. भोजन व्यवस्था :- सभी सम्भागियों की भोजन व्यवस्था टोली विधि से की जावेगी। चपाती स्वयं को बनानी होगी। कच्ची सामग्री एवं भोजन बनाने के बर्तन शिविर में उपलब्ध कराये जावेंगे। दाल, सब्जी एवं चाय नाश्ते की व्यवस्था केन्द्रीय रसोई घर से की जावेगी।
11. सामग्री :- सभी सम्भागियों को अपने साथ ए.पी.आर.ओ. पार्ट-2 के अनुसार सही एवं पूर्ण पोशाक, बदलने के कपड़े, मौसम के अनुसार बिस्तर, व्यक्तिगत रूप से खाने-पीने के बर्तन, तेल, कांच, कंघा, सूई-धागा, बटन, टार्च, पैन, पेंसिल, नोटबुक, पैमाना, रस्सी आदि साथ लाना आवश्यक है।
12. यात्रा व्यय :- स्काउट्स का यात्रा व्यय संबंधित विद्यालय छात्र कोष से देय होगा। स्काउट्स के साथ आने वाले स्काउटर्स को नियमानुसार यात्रा भत्ता राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 8(12)शिक्षा/गुप-4/76 दिनांक 29.08.76 के अनुसार राज्य कोष से देय होगा। इसके लिए सक्षम स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।
13. रेल्वे कन्सेशन :- चयनित सम्भागियों के लिए रेल/बस कन्सेशन की व्यवस्था संबंधित मण्डल मुख्यालय द्वारा की जावेगी।
14. विशेष :- राज्य मुख्यालय पर प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर राज्य मुख्यालय द्वारा दिनांक 08.05.2019 तक चयन की सूचना सभी जिला/मण्डल मुख्यालयों को प्रेषित की जावेगी। कोई भी स्काउट सम्बंधित सर्कल ऑर्गेनाइजर की बिना पूर्व स्वीकृति के शिविर हेतु प्रस्थान नहीं करें।

सधन्यवाद

भवदीय



राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट)


संलग्न :- प्रपत्र

क्रमांक:- प- ()रा.मु/2019-20/522-530

दिनांक:- 16 / 05 / 2019

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य मुख्यालय के पदाधिकारीगण।
2. मण्डल मुख्यायुक्त/मण्डल सचिव, समस्त।
3. सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) मण्डल मुख्यालय समस्त को प्रेषित कर निवेदन है कि शिविर हेतु योग्य स्काउट्स के आवेदन पत्र दिनांक 8.05.2019 तक अवश्यक रूप से राज्य मुख्यालय भिजवाएँ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा/प्रा. शिक्षा/संस्कृत शिक्षा जिला.....।
5. सर्कल आर्गेनाइजर (स्काउट/गाइड) समस्त को भेजकर लेख है कि मण्डल द्वारा जिले को आवंटित कोटे के अनुसार ही स्काउट्स को शिविर में सम्मिलित कराने हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 01.05.2019 तक मण्डल पर भिजवायें। राज्य मुख्यालय की बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी स्काउट्स के इस शिविर में स्वीकार नहीं किया जा सकेगा।
6. सर्कल आर्गेनाइजर (स्काउट), आबूपर्वत को प्रेषित कर लेख है कि शिविर हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें एवं शिविर समाप्ति पर रिपोर्ट भिजवायें।
7. सहायक प्रोग्रामर, राज्य मुख्यालय, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. लेखाकार, राज्य मुख्यालय, जयपुर।
9. संस्था प्रधान.....



राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट)

2012

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय, जयपुर
राष्ट्रपति अवार्ड प्रशिक्षण शिविर आबू पर्वत, सिरोंही
दिनांक 26 से 31.05.2019

संस्था का नाम.....
स्थानीय संघ..... जिला..... मण्डल.....

पंजीकरण प्रपत्र

क्र.सं.	नाम स्काउट्स	पिता का नाम	जन्म तिथि	प्रवेश तिथि	प्र.सो. तिथि	द्वि.सो. तिथि	तृ.सो. तिथि	रा.पु. तिथि	रा. पुरस्कार प्रमाण पत्र न.

उपरोक्तानुसार ध्यान की अनुशंसा की जाती है।

सहायक राज्य संगठन आयुक्त
नय सील

सर्कल ओर्गेनाइजर
मय सील

संस्था प्रधान
मय सील

स्काउट मास्टर
मय सील